

# पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०:-PMAA/PRN/<sup>AADAMPUR</sup>/<sub>DANAPUR</sub> / G+03/18/2021 — 567

पटना, दिनांक- 02-12-2021

प्रेषक,

प्रमारी निदेशक,  
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,  
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री विमल कुमार ब्रजराज एवं अन्य,  
प्रबंध निदेशक-मेसर्स विरारा डेवलपर्स प्रा०लि०,  
पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह,  
निवास स्थान-ललित कॉम्पलेक्स,  
श्री गणेशपुरम, रोड नं०-5 वार्ड नं०-21,  
मेन गोला रोड, दानापुर,  
जिला-पटना, बिहार।

विषय:- प्लान केस संख्या:- PMAA/PRN/<sup>AADAMPUR</sup>/<sub>DANAPUR</sub> / G+03/18/2021 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०:-PMAA/PRN/<sup>AADAMPUR</sup>/<sub>DANAPUR</sub> / G+03/18/2021 दिनांक-12.03.2021 के संदर्भ में श्री विमल कुमार ब्रजराज एवं अन्य, प्रबंध निदेशक-मेसर्स विरारा डेवलपर्स प्रा०लि०, पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, निवास स्थान-ललित कॉम्पलेक्स, श्री गणेशपुरम, रोड नं०-5 वार्ड नं०-21, मेन गोला रोड, दानापुर, जिला-पटना, बिहार के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा-आदमपुर, सर्वे थाना-दानापुर, थाना सं०-40, सर्वे प्लॉट सं०-460(अंश), खाता सं०-108, में आवासीय भवन, (G + 03) दिनांक-20.11.2021 स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन प्रयोजन, के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 395.03 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
5. भूखण्ड के उत्तर में 9.63मी० से 9.57मी० चौड़ी वर्तमान सड़क अवस्थित है।

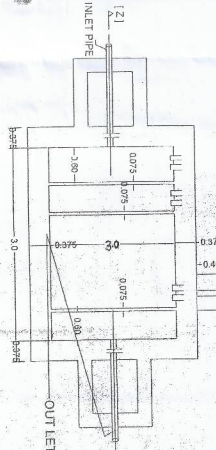
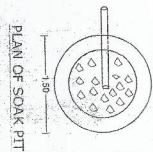
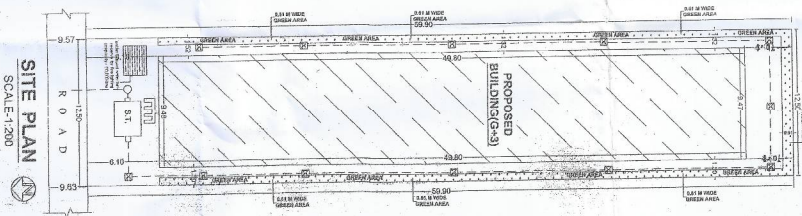
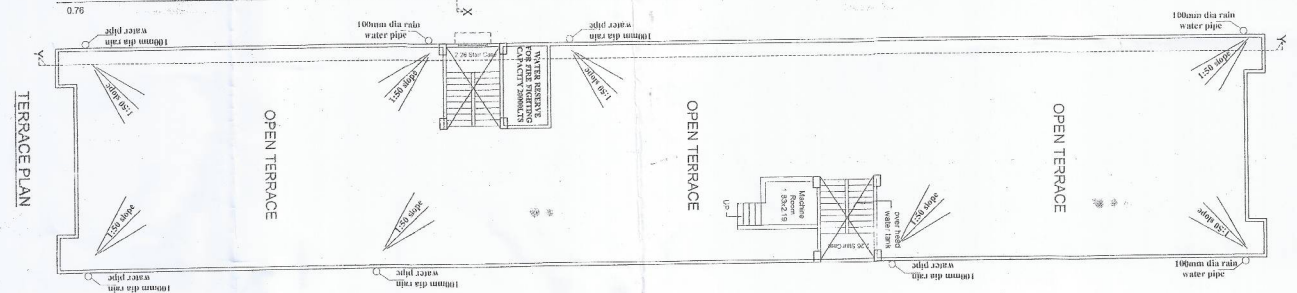
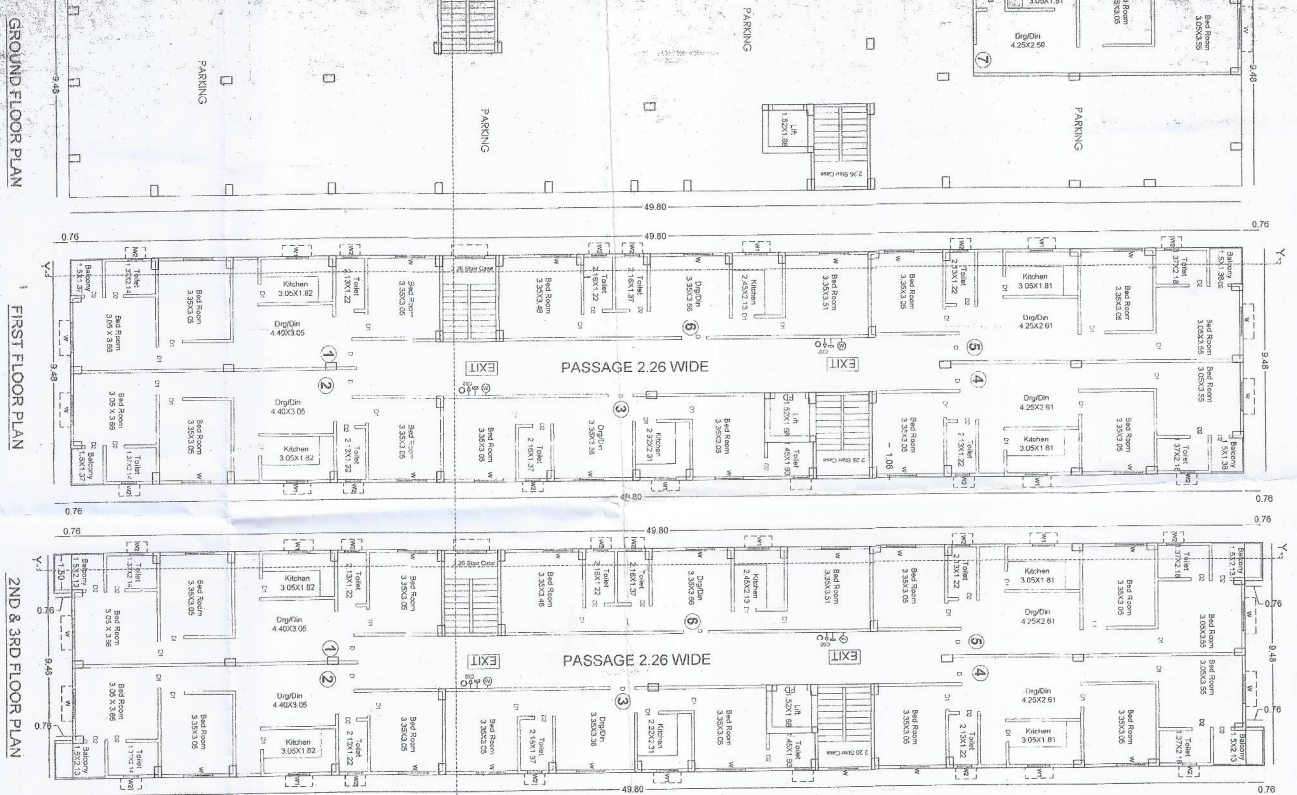
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल, निकास सड़क, एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास बिहार भवन उपविधि-2014 में प्रावधानित उपविधि 8 (5) के आलोक में करना होगा।
11. बिहार भू-सम्पदा (विनियामक और विकास) नियमावली-2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
12. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
13. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
14. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
15. बिहार भवन उपविधि-2014 एवं पटना मास्टर प्लान-2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।
16. बिहार भवन उपविधि-2014 एवं पटना मास्टर प्लान-2031 के आलोक में स्वीकृत नक्शा में प्रावधानित ग्रीन एरिया का प्रावधान किया जाए।

विश्वासभाजन

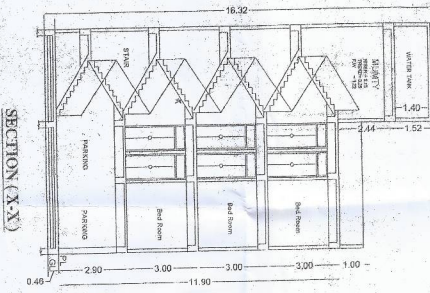
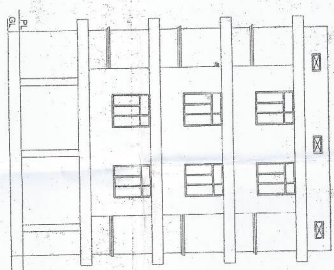
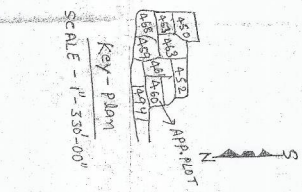
*(Signature)*  
प्रभारी निदेशक, 30/11/2021

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार।





| LEGEND FOR FIRE FIGHTING                                             |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1) HYDRANT                                                           | ① | ② |
| 2) HOSE REEL                                                         | ③ | ④ |
| 3) UNDER GROUND WATER TANK WITH 50,000 LITRS CAPACITY                | ⑤ | ⑥ |
| 4) OVER HEAD WATER FOR FIRE FIGHTING TANK WITH 50,000 LITRS CAPACITY | ⑦ | ⑧ |
| 5) SHARED CONNECTION                                                 | ⑨ | ⑩ |
| 6) ELECTRICAL INSULATED METAL STRIP OF 2.5MM 50MM                    | ⑪ | ⑫ |
| 7) EXTINGUISHER                                                      | ⑬ | ⑭ |
| 8) FIRE HYDRANT                                                      | ⑮ | ⑯ |
| 9) EMERGENCY LIGHTING SYSTEM                                         | ⑰ | ⑱ |
| 10) AUTOMATIC INDICATOR                                              | ⑲ | ⑳ |
| 11) AREA COVERED BY SMOKE DETECTOR                                   | ㉑ | ㉒ |
| 12) FIRE ALARM CALL POINT                                            | ㉓ | ㉔ |
| 13) AUDIBLE WARNING DEVICE                                           | ㉕ | ㉖ |
| 14) LOUD SPEAKER OUT LET                                             | ㉗ | ㉘ |
| 15) MICROPHONE POSITION                                              | ㉙ | ㉚ |
| 16) FIRE RESISTANCE DOOR                                             | ㉛ | ㉜ |
| 17) SMOKE DETECTOR                                                   | ㉝ | ㉞ |
| 18) ELIMINATED EXIT DIRECTIONAL SIGN                                 | ㉟ | ㊱ |



**PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING**  
DEVELOPERS: PVT. LTD., DIRECTOR & VICE PRESIDENT, RAJENDRA PRAKASH SINGH, AT WARD-14, DANA PUR, THANA NO.-40, RAJENDRA PRAKASH, KATIA NO.-108, SURVILL, DISTT. - PATA.

**AREA CALCULATION**  
TOTAL PLT AREA: 48.00 SQ. M.  
TOTAL GROUND FLOOR AREA: 48.00 SQ. M.  
TOTAL SECOND FLOOR AREA: 48.00 SQ. M.  
TOTAL THIRD FLOOR AREA: 48.00 SQ. M.  
TOTAL BUILDING AREA: 144.00 SQ. M.

**OCCUPANT LOAD**  
RESIDENTIAL  
TOTAL NOS. OF PLATS: 18 PLATS  
TOTAL NOS. OF PERSONS: 540 PERSONS  
TOTAL NO. OF PERSONS: 540 PERSONS

**PARKING CALCULATION**  
TOTAL BUILDING AREA: 144.00 SQ. M.  
TOTAL REQUIRED PARKING AREA: 25.00 SQ. M.  
TOTAL PROVIDED PARKING AREA: 25.00 SQ. M.

**WATER SUPPLY CALCULATION**  
TOTAL NOS. OF PERSONS: 540  
REQUIRED WATER TANK FOR 540 PERSONS: 18.00 LITRS./DAY PERSON: 35.00 LITRS. = 1725 LITRS.  
CAPACITY OF OVER HEAD WATER TANK: 50,000 LITRS.  
SEPTIC TANK CALCULATION  
TOTAL NOS. OF PERSONS: 540  
REQUIRED SEPTIC TANK: 18.00 LITRS./DAY PERSON: 35.00 LITRS. = 1725 LITRS.  
@ 0.0001 M<sup>3</sup>/DAY PERSON: 1.000 M<sup>3</sup> = 1.000 M<sup>3</sup>  
SIZE OF SEPTIC TANK: 18.00 M<sup>3</sup> = 18.00 M<sup>3</sup>

**APPROVED BY**  
RAJENDRA PRAKASH SINGH  
DIRECTOR & VICE PRESIDENT  
RAJENDRA PRAKASH SINGH  
AT WARD-14, DANA PUR, THANA NO.-40, RAJENDRA PRAKASH, KATIA NO.-108, SURVILL, DISTT. - PATA.